भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3476
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग

3476. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे :
श्री आलोक शर्मा :
श्री सुरेश कुमार कश्यप :
श्री चिन्तामणि महाराज :
श्री विनोद लखमशी चावड़ा :
श्री दुलू महतो :
श्रीमती रूपकुमारी चौधरी :
श्रीमती भारती पारधीः
श्री प्रवीण पटेल :
श्री भोजराज नाग :
श्री पी. सी. मोहन :
श्री पी. पी. चौधरी :
श्री जय प्रकाश :
श्री मनोज तिवारी :
श्री जनार्दन मिश्रा :
श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में न्यायपालिका और कानून प्रवर्तन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को एकीकृत करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विधिक प्रणाली में नैतिक एआई के उपयोग के लिए कोई विशेष नीतियां या दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) भारतीय न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने तथा उनकी कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए एआई का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है ;

(घ) कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ किस प्रकार एआई प्रौद्योगिकियों के उपयोग में जबाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकती हैं ; और

(ङ) भारतीय विधिक प्रणाली में एआई को लागू करने में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या रणनीति अपनाई जा रही है/ क्या योजना बनाए जाने का प्रस्ताव है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ड.) : भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार ई-न्यायालय परियोजना चरण-2 के अधीन सहज उपयोक्ता अनुभव के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने तथा "तीव्र प्रणाली" बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है जिसमें रजिस्ट्री के पास फाइलों का न्यूनतम आंकड़ा प्रविष्टि और संवीक्षा होगी। तीव्र प्रणाली सृजित करने के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और इसके सब सेट मशीन अधिगम (एमएल) ऑप्टिकल कैरक्टर रिकगनीशन (ओसीआर), प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी), आदि जैसी नवीनतम प्रोद्यौगिकियों का ई-न्यायालय सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों में उपयोग किया जा रहा है। एआई का प्रयोग अनुवाद, भविष्यवाणी और पूर्वानुमान, प्रशासनिक दक्षता में सुधार, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी), स्वचालित फाइलिंग, अभिज्ञ अनुसूचन, मामला सूचना प्रणाली में वृद्धि और चैटबोट के माध्यम से वादकारियों के साथ संवाद करने जैसे क्षेत्रों में किया जा रहा है। यह विभिन्न न्यायिक प्रक्रियाओं के लिए अपेक्षित समय का अनुकूलन करके प्रशासनिक दक्षता में सुधार करने और उन प्रक्रियाओं को स्वचालित करने में सुविधा प्रदान करेगा जो मैनुअल हस्तक्षेप को दूर कर सकते हैं। विधि प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा एआई आधारित विधिविशेष का उपयोग अपराध पर विशाल डाटा का विश्लेषण करने और वास्तविक समय अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से किया जा रहा है, जिससे उद्देश्यपूर्ण निर्णय लेने और प्रक्रिया में नैतिक विचारों का ध्यान रखने की सुविधा मिलती है।

विधिक प्रणाली में नीतिपरक एआई के उपयोग के लिए कोई विशेष नीतियां/मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार नहीं किए गए हैं, किन्तु इसका उपयोग पूर्णत ई-न्यायालय परियोजना चरण-III की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में रेखांकित क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर है।तथापि, विभिन्न उच्च न्यायालयों के छह न्यायाधीशों से मिलकर बनी एक उपसमिति, जिसकी सहायता अधिकार-क्षेत्र विशेषज्ञों से मिलकर बने सदस्यों के तकनीकी कार्यप्रणाली समूह द्वारा की जाती है, डाटा संरक्षण के लिए सुरक्षित संयोजकता और अधिप्रमाणन तंत्रों के लिए, निजता के अधिकार को परिरक्षित रखने के लिए सुझाव देने/ सिफारिश करने हेतु भारत के उच्चतम न्यायालय की ई-समिति के अध्यक्ष द्वारा गठित की गई है। उपसमिति, डाटा सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए और नागरिकों की निजता की संरक्षा करने के लिए, समाधान निकालने हेतु ई-न्यायालय परियोजना के अधीन सृजित डिजिटल अवसंरचना, नेटवर्क और सेवा परिदान समाधान का महत्वपूर्ण रूप से मूल्यांकन और समीक्षा करने के लिए अधिष्ट है।

न्यायालयों में मामलों का समय पर निपटान अनेक कारकों पर निर्भर करता है जिसमें, अन्य बातों के साथ, न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता, सहायक न्यायालय कर्मचारिवृंद और भौतिक अवसंरचना, अंतर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात विधिज्ञ, अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों और वादियों का सहयोग तथा नियमों और प्रक्रियाओं का उचित अनुप्रयोग सम्मिलित है। ऐसे अनेक कारक हैं जिनके कारण मामलों के निपटान में विलंब हो सकता है। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, न्यायाधीशों की रिक्तियां, बार-बार स्थगन और सुनवाई के लिए मामलों को मानीटर करने, उनका पता लगाने और समूहबद्ध करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव शामिल है। ई-न्यायालय परियोजना चरण-III के अधीन, एआई का उपयोग निर्णयों/आदेशों और अन्य दस्तावेजों के अनुवाद के लिए, स्वचालित फाइलिंग के लिए, मामलों की बुद्धिमान समय-सारणी के लिए, नैसर्गिक भाषा संसाधन (एनएलपी) और मामला सूचना प्रणाली को बढ़ाने के लिए किया जाना है जो प्रक्रियाओं, आदि को सुव्यवस्थित करने में सहायता करेगा ।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को न्यायिक प्रक्रियाओं में एकीकृत करने में कुछ प्रमुख चुनौतियां, जिनमें मामला प्रबंधन, विधिक अनुसंधान और अनुवाद सेवाएं शामिल हैं, में एआई विधिविशेष में संभावित पूर्वाग्रह, भाषा बाधाएं, अनुवाद सटीकता, डाटा की गोपनीयता/सुरक्षा पर चिंताएं, एआई सक्षम परिणामों की सटीकता सुनिश्चित करने के अलावा मशीन/एआई अनुवादित दस्तावेजों के मैनुअल सत्यापन की आवश्यकता शामिल है। कौशल उन्नयन और प्रक्रिया पुनर्निर्माण के अलावा प्रौद्योगिकी में निरंतर उन्नयन

के प्रयास किए जा रहे हैं। ई- न्यायालय चरण-III के अधीन, ऐसी भविष्य की प्रौद्योगिकियों के वित्तपोषण और न्यायिक प्रक्रियाओं और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को अपनाने के लिए 53.57 करोड़ रुपये की रकम आबंटित की गई है।

****